कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– / FP/UK/ROAD/36902/2018 :देहरादूनःदिनांकः 03 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– चार धाम परियोजना चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 (134) के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 24.300 (धरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए 5.969 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। **(Parposal No-FP/UK/ROAD/36902/2018)**।

सन्दर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 155 / 2019 / एफ0सी0 / 773 दिनांक 29.07.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 1720 / 12–1, दिनांक 10.11.2020 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.स.	शर्तो / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.94 हे0 अवनत वन भूमि नगुणगाड क0सं0–3बी पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.969 हे0 भूमि के सापेक्ष आरक्षित वन क्षेत्र 11.94 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिया गया था, परन्तु भारत सरकार के EDS दिनांक 30.06.2020 द्वारा आपत्ति संख्या–11 के अनुसार 2.00 हे0 MDF में आने के कारण 2.00 हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल लेते हुए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल क्षेत्रफल 13.94 हे0 अर्थात 14.00 हे0 लिया गया है। जिस हेतु याचक विभाग द्वारा 40,25,977.00 रू0 की धनराशि जमा करा दी गई है **(संलग्नक–1)**। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत करना है कि उक्त परियोजना में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित स्थल धरासू रेंज में नगुणगाड कक्ष सं0–4बी है, किन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं0–3(क) में त्रुटिवश कक्ष सं0–3बी अंकित किया गया है, इसे भी संशोधन करने की कृपा करेंगें।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1"क")**

<table>
<tr><td>4</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रतियाशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।</td><td>उक्त शर्त के अनुपालन में 5.969 हे0 के सापेक्ष 11.94 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत आरक्षित वन भूमि धरासू रेंज के अन्तर्गत नगुणगाड कक्ष सं0–4बी में चयनित किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु याचक विभाग द्वारा 40,25,977.00 रू0 की धनराशि जमा करा दी गई है (संलग्नक–1)।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>शुद्ध वर्तमान मूल्य :
(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.969 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</td><td>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु मु0–39,21,633.00 रू0 की धनराशि जमा करा दी गई है (संलग्नक–1)।</td></tr>
<tr><td>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</td><td>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गयाा है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–2)।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 154 पेड़ होगी तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।</td><td>उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>It will be the responsibility of the state government / user agency for strict compliance of the decision /condition/ suggestion imposed by the High Power Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme court order dated 08.08.2019 in M.A Nos.2678-2680 of 2018 I civil appeal Nos.8515-8520 of 2018 and contempt petition (.c) No.423 of 2019 in civil appeal no.10930 of 2018.</td><td>उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>State Government will upload the details of related proposal at Para B in Part-I.</td><td>List of proposal submitted in Past
<table>
<tr><th>Sl. no</th><th>Proposal Status.</th><th>Proposal No.</th><th>Moef File No.</th><th>Area Proposed for Diversion (Ha.)</th><th>Area Diverted (Ha.)</th><th>Date of In-Principle Approval</th><th>Date of Final Approval</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pending at RO MoEF (Stage-II)</td><td>FP/UK/ROAD/24549/2017</td><td>08B/UCP/06/34/2017/FC/1065. Dtd-22/09/2017</td><td>16.971 Ha.</td><td>16.971 Ha.</td><td>22.09.2017</td><td>29.09.2020</td></tr>
</table>
Details of related proposal (24549) seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project cannot be mentioned in Part-I, Para-B-1 due to unavailability of option to fill any detail online. Details of related proposal (24549) already uploaded online. Details of related proposal as given below.</td></tr>
</table>

9	In the SIR, DFO has mentioned that swell factor has not been calculating in MDP. State government may submit the muck disposal plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated. Muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sites, swell factor and muck already disposed at the muck disposal sites identified in the approved proposal. The carrying capacity of the muck dumping site proposed along with safety measure and rehabilitation / eco-restoration plan and distance from river, if any is also required to be intimated.	Quantity of muck as per muck disposal plan already has been uploaded considering the swell factor. Copy of Muck Disposal Plan is attached. **(Annexure-3)**
10	Revised site inspection report of DFO as submitted and discussed in the meeting is required to be uploaded online at Para 15 of Part II by the state govt.	Revised site inspection report of DFO has been uploaded online at Para 15 of Part II and S.I.R. copy is attached. **(Annexure-4)**
11	State govt. will inform to this office if the pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इस वन प्रभाग द्वारा प्रेषित डिमांड नोट अपलोड कर एवं नोडल अधिकारी से सत्यापित हो जाने के पश्चात कुल रू0 79,47,610.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 39,21,633.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण रू0 40,25,977.00) का चालान जनरेट कर डिमांड धनराशि को उत्तरांचल कैम्प में दिनांक 21.10.2020 को जमा करा दी गई है **(संलग्नक–1)**।
13	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है **(संलग्नक–5)**।
14	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

22	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्यो एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
26	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
27	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यंत्र मलवा नही फेका जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
28	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
29	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

13/11/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1419 **/FP/UK/ROAD/36902/2018 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।

13/11/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

C/c